सेवानिवृत्ति के बाद पदोन्नति के लिए होगी डीपीसी : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: समाज कल्याण विभाग की सेवानिवृत्त अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के आला अफसरों पर न केवल नाराजगी जताई है। साथ ही अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं देनी थी, इसलिए विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर अड़ंगा लगाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि विभाग के आला अफसरों ने कई तरह के अड़ंगे लगाए। उनसे जूनियर आधा दर्जन अफसरों को पदोन्नति दे दी। कभी ग्रेडेशन सूची में विवाद तो कभी पुरानी रिकवरी को कारण बताकर याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित किया गया।

याचिकाकर्ता मंगला शर्मा ने बताया कि 15 फरवरी 1972 को प्रोबेशन आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद उसे 19 अक्टूबर 1981 को समाज कल्याण विभाग में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, जो उनकी सेवानिवृत्ति यानी 31 मार्च 2017 तक था। याचिका के अनुसार दो जुलाई 1999 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। बाद में 22 नवंबर 2007 को फिर से सहायक निदेशक / उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की गई थी। लेकिन उसके नाम पर उस डीपीसी में भी इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि उनके एसीआरएस उपलब्ध नहीं थे।

याचिकाकर्ता ने दायर की अवमानना याचिका

हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने सचिव, समाज कल्याण विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 14 मई 2018 को आदेश जारी कर 28 अगस्त 2017 के आदेश का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया सचिव समाज कल्याण विभाग को दिया था। सचिव समाज कल्याण विभाग ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को चार जून 2018 को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की।

कोर्ट ने कहा : समीक्षा डीपीसी आयोजित कर लें निर्णय

कोर्ट से सचिव समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर निर्देशित किया है कि वे 22 नवंबर 2007 को हुई डीपीसी की तर्ज पर समीक्षा डीपीसी बुलाएं, ताकि याचिकाकर्ता के सहायक निदेशक/उप निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार किया जा सके। जिस तिथि से उसके कनिष्ठों को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया था, तथा उसके पश्चात याचिकाकर्ता को दिए जाने वाले वेतन और अन्य देय राशि के संबंध में परिणाम का पालन किया जाएगा।

Scanned by CamScanner